UPST010050452026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थितः सुनील कुमार–IV, उच्चतर न्यायिक सेवा
न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू0पी01885

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1566 / 2026

प्रिन्स राणा आयु करीब 22 वर्ष पुत्र संजय राणा निवासी ग्राम सोमनाभार, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर

..... प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–255 / 2026,
अन्तर्गत धारा–109 भारतीय न्याय संहिता,
थाना–कोतवाली नगर, जनपद–सुलतानपुर

दिनांकः 03.06.2026

प्रार्थी / अभियुक्त प्रिन्स राणा की ओर से थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–255 / 2026 अन्तर्गत धारा–109 भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में सहअभियुक्त अनुभव का जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1419 / 2026 दि0 18.05.2026 को सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी / अभियुक्त का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः–

क0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1-	251/2026	309(4), 317(2), 61(2) BNS	कोतवाली नगर	सुलतानपुर

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) का तर्क सुना तथा सम्यक रूप से उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा / प्र0नि0 संदीप कुमार राय द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 09.05.2026 को 08:45 बजे इस

आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 09.05.2026 को जब वादी मुकदमा अन्य पुलिस कर्मचारीगण के साथ तलाश वांछित वारंटी, देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम आदि में मामूर था कि मुखबिर से सूचना मिली कि अमहट क्षेत्र में हुई लूट से सम्बन्धित कुछ व्यक्ति हवाई पट्टी के पीछे दूबेपुर मोड़ पर मौजूद हैं। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचने पर सामने खड़े करीब 04 व्यक्ति दिखायी दिये, जो एक मोटर साइकिल के पास खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे कि पुलिस की गाड़ी देखकर इधर उधर भागने लगे। पुलिस बल द्वारा ललकारा गया तो दो लड़के मोटर साइकिल लेकर भाग रहे थे कि अचानक लड़ खड़ाकर गिर गये और चिल्लाये की प्रतीक गोली मार नहीं तो हम सभी पकड़े जायेंगे। इस पर मोटर साइकिल पर पीछे वाले लड़के ने तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से पुलिस वालों पर फायर किया लेकिन फायर मिस हो गया। तब वादी द्वारा अपनी पिस्टल से एक राउण्ड फायर किया गया, जिससे फायर करने वाले व्यक्ति के कमर के नीचे बायें पैर में गोली लगी और वह कराहते हुए गिर गया, तब पुलिसबल द्वारा घेर कर मौके पर ही चारों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये चारों व्यक्तियों से जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो घायल व्यक्ति ने अपना नाम प्रतीक भारती पुत्र रामकृपाल भारती निवासी दरियापुर आजाद नगर पंचरास्ता थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर उम्र 21 वर्ष बताया, जिसकी जामा तलाशी में दाहिने हाथ में पकड़े हुए एक अदद देशी तमंचा .315 बोर बरामद हुआ, जिसके नाल से ताजे बारूद की बू आ रही है। बरामदशुदा तमंचा खोलकर देखा गया तो एक अदद खोखा लगा हुआ मौजूद मिला। उक्त अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 5400/—रू0 नगद व एक अदद मोबाइल आईफोन बरामद हुआ। बरामदशुदा पैसों के सम्बन्ध में पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि दि0 07.05.2026 को मैं अपने साथी सुफियान के साथ मिलकर पराग डेरी अमहट के पास पैसा वसूली करने वाले एक व्यक्ति को यही तमंचा दिखाकर इसी मोटर साइकिल के साथ हम लोगों ने करीब 31,000/—रू0 की लूट की थी। कुछ पैसे खर्च हो गये और कुछ पैसे बचे हुए थे, जिसका आज हम यहां बंटवारा कर रहे थे। पैसा ले जाने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी हमारे ही दोस्त प्रिंस ने दी थी तथा घटना कारित करने के लिए मोटर साइकिल अनुभव ने दी थी। घटना की पूरी प्लानिंग हम चारों ने मिलकर पहले ही तैयार की थी। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मो0 सुफियान पुत्र मो0 रफीक निवासी खैराबाद माली गली थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर उम्र करीब 19 वर्ष बताया, जिसकी जामा तलाशी लेने पर कुल 7600/—रूपये एवं एक पैकेट में

सिम कार्ड कम्पनी एयरटेल बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम प्रिंस राणा पुत्र संजय राणा निवासी समनाभार थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर उम्र 22 वर्ष बताया, जिसकी जामा तलाशी से कुल 6000/–रू0 बरामद हुआ। चौथे ने अपना नाम अनुभव पुत्र समर बहादुर निवासी सेनानी बिहार कॉलोनी अमहट थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर उम्र 22 वर्ष बताया, जिसकी जामा तलाशी से कुल 5500/–रू0 व एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी का बरामद हुआ।

यह प्राथमिकी अभियुक्तगण प्रतीक भारती, मो0 सुफियान, प्रिंस राणा (प्रार्थी/अभियुक्त) व अनुभव के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है, उपरोक्त मुकदमे में फर्जी व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी के ऊपर फायर करने का कोई रोल नहीं बताया गया है। स्वीकारोक्त रूप से किसी पुलिस वाले को कोई चोट नहीं आयी है। कथित फर्द बरामदगी में पुलिस द्वारा दि0 09.05.2026 को रात्रि 1:05 मिनट पर प्रार्थी को हवाई पट्टी के पीछे खड़ा होना बताया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस प्रार्थी को घर से पकड़कर ले आयी है और इस फर्जी मुकदमे में निरूद्ध कर दिया है। पुलिस द्वारा जो 6000/–रूपये की बरामदगी दर्शायी गयी है, वह धनराशि लूट की नहीं है, बल्कि वह स्वयं प्रार्थी का पैसा है। कथित फर्द बरामदगी में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, सारे गवाह स्वयं पुलिसवाले हैं। सहअभियुक्त अनुभव की जमानत श्रीमान् जी द्वारा दि0 18.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उनमें से सहअभियुक्त प्रतीक भारती द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायर किया गया परन्तु सौभाग्यवश किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

निम्नांकित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

2. प्रस्तुत प्रकरण पुलिस मुठभेड़ से सम्बन्धित है।

3. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के ललकारने पर सहअभियुक्त प्रतीक भारती द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर करने का आक्षेप है परन्तु मुठभेड़ में किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी है, जबकि सहअभियुक्त प्रतीक भारती के बाएं पैर में पुलिस द्वारा चलायी गयी गोली लगी है।

4. कथित पुलिस मुठभेड़ एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुलिस आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध 01 अन्य मुकदमा भी लम्बित है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। विधि व्यवस्था **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 11 एस0सी0सी0 648** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जमानत का पर्याप्त आधार पाये जाने पर किसी अभियुक्त के विरूद्ध अनेकों आपराधिक मामलों का लम्बित होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार होना पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त प्रिन्स राणा की ओर से थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–255/2026 अन्तर्गत धारा–109 भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रूपये 40,000/– (चालीस हजार) का निजी बंधपत्र व उसी राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्नांकित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

3— प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

4— प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

दिनांकः 03.06.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
JO Code : UP 1885

मधुलिका सिंह/–

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.06.03 17:34:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court